जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनॉक 29.01.2024***

आज दिनांक 29.01.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** वारण्टी नाम पता दिलीप सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह निवासी बभनौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रजनीश राय, हे0का0 अमेरिका प्रसाद।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1483 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मंझरिया से इवेन्ट संख्या 06010 से कालर द्वारा सड़क मार्ग में ट्रक द्वारा कार में पीछे से ठोकर मार देने से दुर्घटना में 01 व्यक्ति (**धीरेन्द्र कुमार पुत्र आनन्द मोहन गिरी निवासी डारीडिहा थाना कोतवाली जनपद बस्ती**) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को प्राइवेट वाहन की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 विद्यानन्द यादव, आ0 मुकेश कुमार,हो0चा0 रामकृष्ण मौर्य।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 39 वाहनों से 45,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.01.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 39 वाहनों से 45,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर　　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　दिनाँक 29.01.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 04 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 29.01.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 04 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। ***थाना दुधारा*** पुलिस द्वारा 01 स्थान 04 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

जनपद-संतकबीरनगर　　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　दिनांक 29.01.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आयुध अधिनियम में अभियुक्त को 03 माह 15 दिवस साधारण कारावास व 1000-रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन शिकंजा"*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 29.01.2024 को ***जेएम0 जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना धनघटा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1179/2013 धारा 25 आर्म्स एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता सुरेन्द्र निषाद पुत्र मुरली निषाद निवासी खड़गपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत 03 माह 15 दिवस का साधारण कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 05 दिवस की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।